क.

सतीश यूकेई

वी.

देवेंद्र गंगाधराव फद्नाविस

AND ANDR।

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1515-1516) अक्टूबर 1,2019

[रंजन गोगोई**,** सी**.** जे**.** आई**.,** दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:

ग

एसएस।33 ए और 125 ए-चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 4 ए आर/डब्ल्यू फॉर्म 26-विधायक के खिलाफ आपराधिक शिकायत-धारा 125-ए के तहत प्रावधान के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए क्योंकि विधायक ने फॉर्म 26 में दो आपराधिक मामलों का उल्लेख नहीं किया था जिसमें उनके खिलाफ संज्ञान लिया गया था-निचली अदालत द्वारा खारिज की गई शिकायत-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया गया आदेश-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितःप्रपत्र 26 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा न केवल उन मामलों (मामलों) के बारे में जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य है जिनमें आरोप बनाए गए हैं, बल्कि उन मामलों (मामलों) के बारे में भी जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है-भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे गए कुछ पत्रों से यह भी पता चलता है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उन मामलों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिनमें संज्ञान लिया गया है और प्रपत्र 26 में निर्धारित हलफनामे में कोई भी नकली घोषणा या छिपाना आवश्यक है।33-ए (2), एस के प्रावधान को आकर्षित करेगा।125-ए-एस. एस. का संचयी पठन।33-ए और आर।4 ए और फॉर्म 26, चुनाव आयुक्त के पत्रों के साथ, यह स्पष्ट करता है कि यू/एस द्वारा दी जाने वाली जानकारी।33-ए में न केवल खंड (i) और (ii) में निहित जानकारी शामिल है।33-ए (1), लेकिन अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दी गई जानकारी और ऐसी जानकारी भी फॉर्म 26 में प्रस्तुत की जानी चाहिए-शिकायत में कथन के अनुसार, आपराधिक मामलों का जानबूझकर फॉर्म 26 में उल्लेख नहीं किया गया था-इसलिए, शिकायत को खारिज करने के लिए नीचे की अदालतों के आदेश मान्य नहीं हैं-शिकायत पर निचली अदालत द्वारा नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए।

डी.

ई.

च

जी.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़ना:**1.** में जारी किए गए निर्देशों के परिणामस्वरूप

***** एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मामला**,** धारा **33-**ए

एच.

524 ए.

525

सतीश यूके बनाम देवेंद्र गंगाधराव फदनाविस ए

लोक प्रतिनिधित्व **(**तीसरा संशोधन**)** अधिनियम**, 2002** के माध्यम से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम**, 1951** में जोड़ा गया। धारा **33-**ए **(1),** जैसा कि शब्द और मसौदा तैयार किया गया है**,** उन मामलों के विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जहां **(i)** नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है**;** और **(ii)** जहां नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आरोप बनाए गए हैं**,** लेकिन ऐसे मामलों को बाहर रखा गया है जहां संज्ञान लिया गया था।यह इस न्यायालय के आदेश के बावजूद था कि जिन मामलों का संज्ञान लिया गया है**,** उनका विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।**[**पारस **8** और **9] [531-**ए**-**जी**-**एच**]**

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) और ओ. आर. एस. बनाम

भारत संघ (यू. ओ. आई.) और अन्य। (2003) 4 एससीसी 399:

ग

[2003] 3 एससीआर 75; भारत संघ (यू. ओ. आई.) और अन्य बनामएसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड ओआरएस। (2002)

5 एस**.** सी**.** सी**. 295:[2002] 3** एस**.** सी**.** आर**. 696-**पर निर्भर।

2. क्या **1951** के अधिनियम की धारा **125-**ए के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू होंगे**,** पहले प्रतिवादी को कानूनी रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए**,** न्यायालय को **1951** के अधिनियम की धारा **125-**ए में पाए गए निम्नलिखित वाक्यांशों के सही अर्थ और उद्देश्य पर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। **(**ए**)** धारा **33-**ए की उप**-**धारा **(1)** से संबंधित जानकारी देने में विफल रहता है**; (**बी**)** किसी भी जानकारी को छुपाता है**; (**सी**)** धारा **33** की उप**-**धारा **(1)** के तहत दिए गए अपने नामांकन पत्र में या अपने हलफनामे में जिसे धारा **33-**ए की उप**-**धारा **(2)** के तहत दिया जाना आवश्यक है। उपरोक्त वाक्यांशों के सही अर्थ और उद्देश्य का पता लगाने के लिए**,** जिस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया जाना है**,** वह यह है कि क्या **1951** के अधिनियम की धारा **33-**ए में उल्लिखित 'सूचना' का अर्थ केवल ऐसी जानकारी है जो धारा **33-**ए **(1)** के खंड **(i)** और **(ii)** में उल्लिखित है या क्या उक्त जानकारी के साथ एक उम्मीदवार को ऐसी अन्य जानकारी भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आवश्यक है।परिणामी प्रश्न जो उत्पन्न होगा वह यह है कि क्या धारा **33** की उप**-**धारा **(2)** के तहत दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र में चुनाव संचालन नियम**, 1961** के प्रपत्र**-26** द्वारा निर्धारित शपथ पत्र के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी जानी चाहिए या ऐसी जानकारी धारा **33-**ए **(1) (**आई**)** और **(2)** के तहत प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी तक ही सीमित है।**[**पारस **12** और **13] [535-**सी**-**जी**]**

डी.

ई.

च

जी.

3. 1961 का नियम **4-**ए नियम जो **S.O.935 (E)** द्वारा अंतःस्थापित किया गया है**,** दिनांक **3.9.2002** से प्रभावी है

एच.

नामांकन पत्र देने के समय दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र के रूप के लिए।प्रपत्र **26** एक उम्मीदवार द्वारा **1951** के अधिनियम की धारा **33-**ए **(2)** के तहत अपने नामांकन पत्रों के साथ दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र का निर्धारित रूप है। **[**पैरा **13** और **14] [535-**जी**; 536-**बी**]**

4. फॉर्म**-26** को एस**.** ओ**. 1732 (**ई**)** दिनांकित **1.8.2012** द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जो **1.8.2012** से प्रभावी था।प्रपत्र**-26** के एक नंगे अवलोकन से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए**,** जबकि प्रविष्टि **(5) (i)** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा उस मामले **(**ओं**)** के बारे में जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य करता है जो उसके खिलाफ लंबित है जिसमें न्यायालय द्वारा आरोप बनाए गए हैं**;** प्रविष्टि **(5) (ii)** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा उन मामलों के बारे में जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य करता है जो उसके खिलाफ लंबित हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।प्रविष्टि **5 (ii)** में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि उम्मीदवार को लंबित मामले **(**मामलों**)** की जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है जिसमें संज्ञान लिया गया है।यह प्रविष्टि **5 (i)** में कॉलम के सामने प्रदान की जाने वाली जानकारी के अलावा है क्योंकि 'उपरोक्त मद **(i)** में उल्लिखित मामलों के अलावा' शब्दों का उपयोग प्रविष्टि **5 (ii)** में विशेष रूप से किया गया है।इससे इस बात में कोई संदेह नहीं होगा कि **2012** में प्रपत्र **26** के प्रतिस्थापन के बाद**,** नया प्रपत्र **26 (**जैसा कि **2014** में चुनाव के समय प्रचलन में था**),** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा न केवल उन मामलों **(**मामलों**)** की जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य करता है जिनमें आरोप बनाए गए हैं**,** बल्कि उन मामलों **(**मामलों**)** का भी खुलासा करना अनिवार्य करता है जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।**[**पारस **15,16** और **17] [544-**सी**-**एफ**]**

ग

डी.

ई.

5. भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे गए **24.8.2012,26.9.2012** और **26.4.2014** दिनांकित पत्रों द्वारा स्थिति को और स्पष्ट किया जाता है।उक्त पत्रों को पढ़ने से पता चलता है कि एक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उन मामलों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य किया जाता है जिनमें एक सक्षम न्यायालय ने उन मामलों के साथ संज्ञान लिया है जिनमें आरोप बनाए गए हैं।उक्त पत्रों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि **1951** के अधिनियम की धारा **33-**ए **(2)** में उल्लिखित हलफनामा फॉर्म**-26** में निर्धारित है और उक्त हलफनामे में जानकारी की कोई भी झूठी घोषणा या छिपाना **1951** के अधिनियम की धारा **125-**ए के प्रावधानों को आकर्षित करेगा। **[**पैरा **18] [544-**जी**-**एच**; 545-**ए**]** ए

च

जी.

एच.

527

सतीश यूके बनाम देवेंद्र गंगाधराव फदनाविस ए

6. 1951 के अधिनियम की धारा **33-**ए और **1961** के नियमों के नियम **4-**ए और प्रपत्र**-26** के साथ**-**साथ निर्वाचन आयोग के दिनांकित **24.8.2012,26.9.2012** और **26.4.2014** के पत्रों के संचयी पठन से यह स्पष्ट होता है कि **1951** के अधिनियम की धारा **33-**ए के तहत प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी में न केवल धारा **33-**ए **(1)** के खंड **(i)** और **(ii)** में उल्लिखित जानकारी शामिल है**,** बल्कि यह भी जानकारी है कि उम्मीदवार को अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और ऐसी जानकारी प्रपत्र**-26** में प्रस्तुत की जानी चाहिए**,** जिसमें उन मामलों से संबंधित जानकारी शामिल है जिनमें एक सक्षम अदालत ने संज्ञान लिया है **(**प्रपत्र**-26** की प्रविष्टि **5 (ii))**।यह उन

मामलों के अलावा है जिनमें दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोप बनाए गए हैं या ऐसे मामले जिनमें दोषसिद्धि दर्ज की गई है और एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा दी गई है **(**फॉर्म **26** की प्रविष्टियां **5 (i)** और **6)**।**[**पैरा **19] [547-**डी**-**एफ**]**

ग

डी.

7. इसलिए**,** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिकायत में इस आशय का स्पष्ट दावा किया गया था कि प्रथम प्रतिवादी को अपने खिलाफ दो मामलों की जानकारी थी**,** जिनका उल्लेख प्रथम प्रतिवादी द्वारा अपने नामांकन पत्रों के साथ दायर किए गए शपथ पत्र में नहीं किया गया था**,** उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया निचली अदालत का आदेश कानूनी रूप से मान्य नहीं है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।अपीलार्थी की शिकायत पर निचली अदालत द्वारा उस स्तर से नए सिरे से विचार किया जाएगा जहां इसे बाधित किया गया था।**[**पैरा **20] [547-**एफ**-**एच**]**

ई.

कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार और अन्य **(2015) 3**

एससीसी **467:[2015] 4** एस**.** सी**.** आर**. 987-**निर्भर।निर्णीत विधि संदर्भ

च

[2002] 3 एससीआर **696**

पर भरोसा किया।

पैरा **7**

[2003] 3 एससीआर **75**

पर भरोसा किया।

पैरा **10**

[2015] 4 एससीआर **987**

पर भरोसा किया।

पैरा **21**

जी.

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: 2019 की आपराधिक अपील संख्या 1515-1516।

2016 के आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 94 और 2018 के आपराधिक आवेदन (ए. पी. पी. आर.) संख्या 101 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

एच.

विवेक तन्खा, मुकुल रोहतगी, सुनील मनोहर, संजय पारिख, वरिष्ठ अधिवक्ता।, वैभव श्रीवास्तव, अक्षय सी. श्रीवास्तव, प्रशांत शिवरगन, प्रणव गुप्ता, शशि भूषण वहाने, संजय पाटिल, बलराज दीवान, सतीश वेके, समीर रोहतगी, सुश्री रंजीता रोहतगी, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अनूप कंदारी, अभिमान श्रेष्ठ, सुश्री संजना श्रीकुमार, ऋत्विक पारिख, जतिंदरपाल सिंह, सुश्री रानी मिश्रा, रणधीर कुमार ओझा, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रंजन गोगोई**,** सीजेआई।

ग

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. अपीलार्थी-सतीश उके बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं।पहला उत्तरदाता महाराष्ट्र राज्य विधानसभा का एक निर्वाचित सदस्य है और वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहा है।

डी.

3. अपीलार्थी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद "1951 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 125-ए के तहत पहले प्रतिवादी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागपुर के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।नागपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 7 सितंबर, 2015 के आदेश द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया।पुनरीक्षण में, नागपुर के विद्वान सत्र न्यायाधीश ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए विद्वान विचारण न्यायालय को भेज दिया।पीड़ित, प्रथम प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का रुख किया और अपने 3 मई, 2018 के फैसले और आदेश द्वारा विद्वान सत्र न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर दिया, वर्तमान अपील दायर की गई हैं।

ई.

च

4. अपीलार्थी द्वारा दायर शिकायत में एक आरोप है कि चुनाव संचालन नियम, 1961 (इसके बाद "1961 नियम" के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र-26 में हलफनामे में, जिसमें पहले प्रतिवादी के नामांकन पत्र के साथ दो मामलों के विवरण थे जिनमें संज्ञान लिया गया था अर्थात (i) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागपुर के समक्ष 1996 का संक्षिप्त मामला (आई. पी. सी. की धारा 500 के तहत)। और (ii) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नागपुर के न्यायालय के समक्ष 2003 के नियमित आपराधिक मामले (1998 का पुराना) (आई. पी. सी. की धारा 468,471,218,467,420 और 34 के तहत) का उल्लेख प्रथम प्रतिवादी द्वारा उसी की जानकारी के बावजूद नहीं किया गया है।नतीजतन, अपीलार्थी-शिकायतकर्ता के अनुसार, एक उल्लंघन ए

जी.

एच.

529

सतीश यूके बनाम देवेंद्र गंगाधराव फदनाविस [रंजन गोगोई, सीजेआई।] ए.

धारा 125-ए के प्रावधानों में से कुछ किए गए हैं जिनके लिए पहला प्रतिवादी सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है।

इन्हीं आरोपों पर अपीलार्थी ने 2014 की चुनाव याचिका संख्या 1 स्थापित करके उच्च न्यायालय के समक्ष पहले प्रतिवादी के चुनाव को चुनौती दी थी, जिसे उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त, 2015 के अपने आदेश द्वारा खारिज कर दिया है।

5. अपीलार्थी-शिकायतकर्ता द्वारा लिए गए रुख की शुद्धता और उच्च न्यायालय के विवादित आदेश की वैधता को निर्धारित करने के लिए, जिसमें कहा गया है कि शिकायत खारिज करने योग्य है, न्यायालय को 1951 के अधिनियम की धारा 33-ए और 125-ए, उक्त नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म-26 के साथ पठित 1961 के नियमों के नियम 4 ए के प्रावधानों पर विचार करने की आवश्यकता होगी।इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए गए भारत के चुनाव आयोग के कई पत्रों पर भी बारीकी से विचार करने की आवश्यकता होगी।

ग

डी.

6. ऊपर बताए गए कानून के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करने से पहले, उन न्यायिक उदाहरणों पर एक संक्षिप्त प्रस्तावना आवश्यक मानी जाती है जिनके कारण 1951 के अधिनियम में धारा 33-ए और 125-ए को शामिल किया गया था और 1961 के नियमों के नियम 4-ए के प्रावधानों को फॉर्म-26 के साथ पढ़ा गया था।

7. भारत संघ **(**यू**.** ओ**.** आई**.)** और अन्य बनामसंगठन के लिए

ई.

लोकतांत्रिक सुधार और अन्य। 1 इस न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को वोट डालने के लिए बुलाए जाने से पहले उनके प्रासंगिक विवरणों को जानने के मतदाताओं के अधिकार के मुद्दे की जांच करते हुए निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं:

“22. लोकतंत्र की सेहत और निष्पक्ष चुनाव के लिए, क्या किसी उम्मीदवार द्वारा संपत्ति का खुलासा, उसकी योग्यता और आपराधिक मामलों में शामिल होने के बारे में विवरण मतदाताओं को सूचित करने के लिए आवश्यक हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, ताकि वे समझदारी से तय कर सकें कि किसे वोट देना है?हमारी राय में, अनपढ़ मतदाता का भी निर्णय, यदि ठीक से शिक्षित और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के बारे में सूचित किया जाता है, तो वह उम्मीदवार के चयन के अपने प्रासंगिक मानदंडों पर आधारित होगा।लोकतंत्र में, देश के लिए कुशल शासन और नागरिकों-मतदाताओं के लाभ के लिए आवधिक चुनाव आयोजित किए जाते हैं।लोकतांत्रिक रूप में

च

जी.

1 (2002) 5 एससीसी-294

एच.

सरकार, मतदाता सबसे महत्वपूर्ण हैं।उन्हें उम्मीदवार के पूर्ववृत्त और पिछले प्रदर्शन के आधार पर चुनाव या फिर से चुनाव करने का अधिकार है।उसके पास यह तय करने का विकल्प होता है कि किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनने या फिर से चुनने के लिए शैक्षिक योग्यता या संपत्ति का होना प्रासंगिक है या नहीं।मतदाता को यह तय करना होता है कि उसे आपराधिक मामले में शामिल उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करना चाहिए या नहीं।चुनाव की शुद्धता और स्वस्थ लोकतंत्र बनाए रखने के लिए, मतदाताओं को शिक्षित होने और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में अच्छी तरह से सूचित होने की आवश्यकता है। इस तरह की जानकारी में उम्मीदवार द्वारा रखी गई संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता सहित उसकी योग्यता और उसके जीवन की पृष्ठभूमि शामिल होगी जिसमें यह भी शामिल है कि क्या वह किसी आपराधिक मामले में शामिल था और यदि मामले का फैसला किया जाता है-इसका परिणाम, यदि लंबित है-क्या आरोप तैयार किया गया है या अदालत द्वारा संज्ञान लिया गया है? मतदाताओं से संबंधित तथ्यों को दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ग

डी.

[रेखांकित करना हमारा है] "इसके अलावा, इस न्यायालय ने चुनाव आयोग को निम्नलिखित निर्देश जारी किए (पैरा 48, पृष्ठ। 322):

“48. निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद या राज्य विधानमंडल के लिए अपने नामांकन पत्र के एक आवश्यक भाग के रूप में चुनाव की मांग करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार से शपथ पत्र पर जानकारी के लिए आवश्यक आदेश जारी करे, जिसमें उसकी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी दी जाएः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

च

(1) क्या उम्मीदवार को अतीत में किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है/बरी किया गया है/आरोपमुक्त किया गया है-यदि कोई हो, तो क्या उसे कारावास या जुर्माने की सजा दी गई है?

(2) नामांकन दाखिल करने के छह महीने से पहले, चाहे उम्मीदवार किसी भी लंबित मामले में आरोपी हो, दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध का, और जिसमें आरोप बनाया जाता है या न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाता है।यदि ऐसा है तो उसका विवरण दें।

जी.

[रेखांकित करना हमारा है] "

एच.

531

सतीश यूके बनाम देवेंद्र गंगाधराव फदनाविस [रंजन गोगोई, सीजेआई।] ए.

क.

8. उपरोक्त के परिणामस्वरूप और जारी किए गए निर्देश

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (सुप्रा), धारा 33-ए थी

1951 के अधिनियम में 'लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2002' (2002 के अधिनियम 72 की धारा 2) के माध्यम से जोड़ा गया।

9. नई धारा 33-ए, जो वर्तमान मामले में विवाद की जड़ है, 'सूचना के अधिकार' से संबंधित है और निम्नानुसार हैः“33A. सूचना का अधिकार।—(1) एक उम्मीदवार, इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी जानकारी के अलावा, धारा 33 की उप-धारा (1) के तहत दिए गए अपने नामांकन पत्र में यह भी जानकारी देगा कि क्या -

ग

(i) उस पर किसी लंबित मामले में दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है जिसमें सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा आरोप तय किया गया है; (ii) वह उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या धारा 8 की उप-धारा (3) में शामिल है और उसे एक वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है।

डी.

(2) उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक, जैसा भी मामला हो, धारा 33 की उप-धारा (1) के तहत निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र देने के समय, उसे एक निर्धारित प्रपत्र में उम्मीदवार द्वारा शपथ लिया गया एक शपथ पत्र भी देगा जो उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जानकारी का सत्यापन करेगा।

ई.

(3) निर्वाचन अधिकारी, उप-धारा (1) के तहत उसे जानकारी देने के बाद जितनी जल्दी हो सके, उस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मतदाताओं की जानकारी के लिए, जिसके लिए नामांकन पत्र दिया जाता है, अपने कार्यालय में एक विशिष्ट स्थान पर उप-धारा (2) के तहत दिए गए शपथ पत्र की एक प्रति चिपकाकर उपरोक्त जानकारी प्रदर्शित करेगा।

च

["यहाँ यह ध्यान रखना उचित है कि धारा 33-ए (1), जैसा कि शब्द और मसौदा तैयार किया गया है, उन मामलों की जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जहां (i) नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है; और (ii) जहां नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आरोप बनाए गए हैं, लेकिन ऐसे मामलों को शामिल नहीं किया गया है जहां संज्ञान लिया गया था।यह इस न्यायालय के आदेश के बावजूद था, जिस पर ऊपर ध्यान दिया गया है, इस प्रभाव से कि जिन मामलों (मामलों) का संज्ञान लिया गया है, उनका विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

जी.

एच.

10. उपरोक्त विसंगति को इस न्यायालय द्वारा संबोधित किया गया था,

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) और अन्य का मामला।

v. भारत संघ (यू. ओ. आई.) और अन्य। 2 उक्त मामले में, इस न्यायालय ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों की तुलना में 1951 के अधिनियम की धारा 33-ए और 33-बी 3 के आयात की जांच की थी।इस मुद्दे पर पी. वेंकटरामा रेड्डी और डी. एम. धर्माधिकारी, जे. जे. की राय एक सहमति है):

“114. अब मैं समस्या की विशिष्टताओं पर चर्चा करूँगा।सूचना के अधिकार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इस न्यायालय ने चुनाव आयोग को कुछ निर्देश दिए जो, जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, तदर्थ प्रकृति के थे।चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया था कि वह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से मोटे तौर पर तीन बिंदुओं पर विवरण मांगे, अर्थात् (i) आपराधिक रिकॉर्ड, (ii) संपत्ति और देनदारियां, और (iii) शैक्षिक योग्यता।आर. पी. अधिनियम में तीसरा संशोधन जो सूचना के प्रकटीकरण के लिए एक अध्यादेश द्वारा प्रदान किया गया था।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 2002 का तीसरा संशोधन सूचना के अधिकार की रक्षा कैसे करता है जो अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत अधिकार का एक हिस्सा है, इस सवाल पर अब निर्णय में बताए गए तीन बिंदुओं में से प्रत्येक के विशिष्ट संदर्भ के साथ विचार किया जाना चाहिए।

ग

डी.

ई.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मामले में इस न्यायालय का।

115. जहां तक पहले पहलू**,** अर्थात् आपराधिक रिकॉर्ड का संबंध है**,**

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मामले में दो तरह के निर्देश दिए गए हैंः

(एस. सी. सी. पी. 322, पैरा 48)

"(1) चाहे उम्मीदवार को अतीत में किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो/बरी किया गया हो/आरोपमुक्त किया गया हो-यदि कोई हो, चाहे उसे कारावास या जुर्माने की सजा दी गई हो।

च

2 (2003) 4 एस. सी. सी. 399

3 2002 के संशोधन के माध्यम से धारा 33-बी को भी जोड़ा गया था।इसमें कहा गया है कि किसी भी न्यायालय के किसी भी फैसले या चुनाव आयोग द्वारा जारी किसी भी निर्देश में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी उम्मीदवार ऐसी जानकारी का खुलासा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जिसकी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा आवश्यकता नहीं है।

जी.

पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ और अन्य में धारा 33-बी को असंवैधानिक घोषित किया गया था। ((2003) 4 एस. सी. सी. 399) के मौलिक अधिकार का उल्लंघन के रूप में

नागरिकों को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक आवश्यक पहलू किस अधिकार को माना गया था, जिसे केवल अनुच्छेद के अनुरूप प्रतिबंधों के माध्यम से वैध रूप से सीमित किया जा सकता था।19(2) भारत का संविधान।

एच.

533

सतीश यूके बनाम देवेंद्र गंगाधराव फदनाविस [रंजन गोगोई, सीजेआई।] ए.

क.

(2) नामांकन दाखिल करने के छह महीने से पहले, चाहे उम्मीदवार किसी भी लंबित मामले में आरोपी हो, दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध का, और जिसमें आरोप तय किया जाता है या अदालत द्वारा संज्ञान लिया जाता है।" जहाँ तक दूसरे निर्देश का संबंध है, संसद काफी हद तक उसी तर्ज पर आगे बढ़ी है और उम्मीदवार के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है कि क्या वह किसी लंबित मामले में दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का आरोपी है जिसमें सक्षम अदालत द्वारा आरोप तय किया गया है।हालांकि, जिस मामले में संज्ञान लिया गया है लेकिन आरोप नहीं बनाया गया है, वह धारा 33-ए (आई) के खंड (आई) के दायरे में नहीं आता है।संसद ने बड़े अपराधों से संबंधित लंबित मामलों के अनिवार्य प्रकटीकरण का सही कदम उठाया है, इसलिए कोई उचित कारण नहीं है कि वह उसी प्रकृति के मामलों के प्रकटीकरण का प्रावधान करने में विफल रही जिसका न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।यह सर्वविदित है कि एक या दूसरे अभियुक्त की देरी की रणनीति और अभियोजन तंत्र की अपर्याप्तता जैसे विभिन्न कारणों से औपचारिक आरोप तय करने में काफी देरी हो जाती है, विशेष रूप से गंभीर मामलों में जहां समर्पण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।उस कारण से, मतदाता/नागरिक को दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के न्यायालय द्वारा लिए गए संज्ञान के बारे में जानकारी से वंचित नहीं किया जाएगा।नागरिक के सूचना के अधिकार को, जब एक बार इसे अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा माना जाता है, तो इसे जिस तरह से किया गया है, उसे कम नहीं किया जा सकता है।इसलिए धारा 33-ए (आई) का खंड (आई) एक महत्वपूर्ण पहलू पर सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए घोषित लक्ष्य से कम है। जिन मामलों में संज्ञान लिया गया है, उन्हें धारा 33-ए के खंड (i) में जो प्रावधान किया गया है, उसके अलावा मतदाताओं/नागरिकों के लिए सुलभ जानकारी के क्षेत्र में समझा जाना चाहिए।

ग

डी.

ई.

च

[रेखांकित करना हमारा है] "

जी.

इसके अलावा, अदालत ने कहाः

“123. अंत में**,** मेरे निष्कर्षों का सारांशः**(1) .....**

(2) ....

एच.

534

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 15 एस सी आर।

(3) भारत संघ बनाम लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संघ में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का उद्देश्य केवल तब तक काम करना था जब तक कि विधायिका द्वारा कानून नहीं बनाया जाता और इस अर्थ में "अस्थायी" प्रकृति का होता है।एक बार कानून बनने के बाद, न्यायालय को यह मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकन करना होगा कि क्या वैधानिक रूप से निर्धारित सूचना की वस्तुएं मतदाता/नागरिक को उपलब्ध सूचना के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए उचित रूप से पर्याप्त हैं या नहीं।इस अभ्यास को शुरू करते समय, इस न्यायालय द्वारा इंगित प्रकटीकरण के बिंदुओं को, भले ही वे अस्थायी या तदर्थ प्रकृति के हों, उचित महत्व दिया जाना चाहिए और उनसे पर्याप्त विचलन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

ग

...

(6) लंबित आपराधिक मामलों और ऐसे मामलों में पिछली संलिप्तता के संबंध में संसद द्वारा धारा 33-ए के तहत प्रदान किया गया सूचना का अधिकार मतदाता/नागरिक में निहित सूचना के अधिकार की रक्षा के लिए उचित रूप से पर्याप्त है।हालाँकि, उन लंबित मामलों को बाहर करने का कोई उचित कारण नहीं है जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान प्रकटीकरण के दायरे से लिया गया है।

डी.

[रेखांकित करना हमारा है] "आखिरकार, न्यायालय द्वारा भारत के चुनाव आयोग को निम्नलिखित निर्देश जारी किया गयाः

ई.

“123 (9) चुनाव आयोग को उन मामलों के संबंध में धारा 33-ए का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संशोधित निर्देश जारी करने हैं, जिनमें संज्ञान लिया गया है।"

च

11. 1951 के अधिनियम की धारा 125-ए [लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 '(2002 का अधिनियम 72) की धारा 5 द्वारा सम्मिलित] निम्नानुसार हैः

"धारा 125-ए। गलत शपथ पत्र आदि दाखिल करने के लिए जुर्माना।- ए.

उम्मीदवार जो स्वयं या अपने प्रस्तावक के माध्यम से, चुनाव में चुने जाने के इरादे से, -

जी.

(i) धारा 33-क की उप-धारा (1) से संबंधित जानकारी देने में विफल रहता है; या

((ii) गलत जानकारी देता है जिसे वह जानता है या जिसे गलत मानने का कारण है; या

एच.

535

सतीश यूके बनाम देवेंद्र गंगाधराव फदनाविस [रंजन गोगोई, सीजेआई।] ए.

((ग) धारा 33 की उप-धारा (1) के तहत दिए गए अपने नामांकन पत्र में या अपने शपथ पत्र में, जो यथास्थिति, धारा 33-ए की उप-धारा (2) के तहत दिए जाने की आवश्यकता है, किसी भी जानकारी को छुपाता है, उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, छह महीने तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।

12. क्या 1951 के अधिनियम की धारा 125-ए के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू होंगे, जैसा कि अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता द्वारा दावा किया गया है, पहले प्रतिवादी को कानूनी रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए, न्यायालय को 1951 के अधिनियम की धारा 125-ए में पाए गए निम्नलिखित वाक्यांशों के सही अर्थ और उद्देश्य पर निर्णय लेने की आवश्यकता होगी।

ग

(क) धारा 33-क की उप-धारा (1) से संबंधित जानकारी देने में विफल रहता है;

(ख) किसी भी जानकारी को छुपाता है;

डी.

(ग) धारा 33 की उप-धारा (1) के तहत दिए गए अपने नामांकन पत्र में या अपने शपथ पत्र में जिसे धारा 33-ए की उप-धारा (2) के तहत दिए जाने की आवश्यकता है।

13. उपरोक्त वाक्यांशों के सही अर्थ और उद्देश्य का पता लगाने के लिए, जिस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया जाना है, वह यह है कि क्या 1951 के अधिनियम की धारा 33-ए में उल्लिखित 'सूचना' शब्द का अर्थ केवल ऐसी जानकारी है जो धारा 33-ए (1) के खंड (i) और (ii) में उल्लिखित है या क्या उक्त जानकारी के साथ एक उम्मीदवार को ऐसी अन्य जानकारी भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आवश्यक है।परिणामी प्रश्न जो उत्पन्न होगा वह यह है कि क्या धारा 33-ए की उप-धारा (2) के तहत दाखिल करने के लिए आवश्यक हलफनामे में 1961 के नियमों के फॉर्म-26 द्वारा निर्धारित हलफनामे के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी जानी है या ऐसी जानकारी धारा 33-ए (1) (आई) और (2) के तहत प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक जानकारी तक ही सीमित है।यह इस स्तर पर है कि 1961 के नियमों के नियम 4-ए पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।नियम 4-ए जिसे S.O.935 (E) द्वारा जोड़ा गया था, दिनांक 3.9.2002 के साथ 3.9.2002 से प्रभावी है, निम्नलिखित शब्दों में है।

ई.

च

जी.

"4-ए. देने के समय दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रपत्र

नामांकन पत्र।— उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक, जैसा भी मामला हो

एच.

536

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 15 एस सी आर।

अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (1) के तहत निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र देने के समय, उम्मीदवार द्वारा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या फॉर्म 26 में नोटरी के समक्ष शपथ पत्र भी उसे दिया जा सकता है।"14. प्रपत्र 26 एक उम्मीदवार द्वारा 1951 के अधिनियम की धारा 33-ए (2) के तहत अपने नामांकन पत्रों के साथ दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र का निर्धारित रूप है। निर्धारित प्रपत्र में उक्त शपथ पत्र इस प्रकार हैः

" [फॉर्म 26

(नियम 4-ए देखें)

ग

कृपया अपनी हाल की पासपोर्ट आकार की तस्वीर यहाँ चिपकाएँ।

चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार द्वारा दाखिल किया जाने वाला शपथ पत्र।(घर का नाम) से

डी.

..... निर्वाचन क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) भाग ए

आई., * * बेटा/बेटी/पत्नी

..... आयु. वर्ष, निवासी (पूरा डाक पता उल्लेख करें), उपरोक्त चुनाव में एक उम्मीदवार, इसके द्वारा गंभीरता से पुष्टि करें और शपथ पर निम्नानुसार कहें -

ई.

(1) (* * राजनीतिक दल का नाम)/* * मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ।

च

(**जो भी लागू न हो, हड़ताल करें)

(2) मेरा नाम दर्ज है। (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम), सीरियल नं.

जी.

भाग सं.

[(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नंबर है/हैं।

और मेरी ई-मेल आईडी (यदि कोई हो) है।

[(4) स्थायी खाता संख्या (पैन) और आयकर विवरणी दाखिल करने की स्थिति का विवरणः

एच.

537

सतीश यूके बनाम देवेंद्र गंगाधराव फदनाविस [रंजन गोगोई, सीजेआई।] ए.

क.

एस. एल.

पैन नाम वित्तीय वर्ष के लिए

दिखाई गई कुल आय

नहीं।

जो अंतिम है

आयकर विवरणी में

आयकर विवरणी है

(रुपये में)

दाखिल किया गया।

1. स्वयं 2	जीवनसाथी।			
	3. आश्रित-1			
	4. आश्रित-2			
	5. आश्रित-3			

5. मुझ पर किसी लंबित मामले (मामलों) में दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध (अपराधों) का आरोप नहीं है, जिसमें सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत (अदालतों) द्वारा आरोप (आरोप) बनाए गए हैं।

ग

यदि अभियुक्त पर ऐसे किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा -

(i) मेरे खिलाफ निम्नलिखित मामले लंबित हैं जिनमें अदालत द्वारा दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किए गए हैं -

डी.

(अ)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट No./Nos. संबंधित पुलिस स्टेशन/जिला/राज्य के पूर्ण विवरण	

	के साथ	
(ख)	संबंधित अधिनियम (ओं) की धारा (ओं) और अपराध (ओं) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए आरोप लगाया गया है।	
((ग)	न्यायालय का नाम, मामला सं. और संज्ञान लेने वाले आदेश की तारीखः	
((घ)	न्यायालय (ओं) जिसने आरोप (ओं) तैयार किए	
(ई)	तारीख (ओं) जिस पर आरोप (ओं) बनाए गए थे/बनाए गए थे	
(च)	क्या सभी या किसी भी कार्यवाही पर सक्षम अधिकार क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है।	

ई.

च

जी.

((ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित मामले लंबित हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (उपरोक्त मद (i) में उल्लिखित मामलों के अलावा।

एच.

(अ)	न्यायालय का नाम, मामला सं. और संज्ञान लेने वाले आदेश की तारीखः	

(ख)	जिन मामलों में न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (ओं) की धारा (ओं) और अपराध (ओं) का विवरण जिसके लिए संज्ञान लिया गया है	
((ग)	उपरोक्त आदेशों के खिलाफ दायर पुनरीक्षण (यदि कोई हो) के लिए अपीलों/आवेदनों का विवरण	

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उप-धारा (3) के तहत उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध (अपराधों) के अलावा किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए दोषी ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और मुझे एक वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है।

ग

यदि प्रतिवादी को दोषी ठहराया जाता है और उपरोक्त के रूप में दंडित किया जाता है, तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगाः

डी.

निम्नलिखित मामलों में, मुझे एक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है और कारावास की सजा सुनाई गई हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(अ)	मामलों का विवरण, संबंधित अधिनियम (ओं) की धारा (ओं) और अपराध (ओं) का विवरण जिसके लिए दोषी ठहराया गया है।	
(ख)	अदालतों का नाम, मामला संख्या और आदेशों की तारीख	
((ग)	सजा दी गई।	
((घ)	क्या दोषसिद्धि आदेश के खिलाफ	

	कोई अपील दायर की गई थी/की गई है। यदि हां, तो विवरण और अपील की वर्तमान स्थिति।	

ई.

च

(7) कि मैं नीचे अपनी, अपने जीवनसाथी और सभी आश्रितों की संपत्ति (चल और अचल आदि) का विवरण देता हूंःअ. चल परिसंपत्तियों का विवरणः

जी.

ध्यान देंः1.संयुक्त स्वामित्व की सीमा को दर्शाने वाली संयुक्त नाम की परिसंपत्तियों को भी देना होगा।

ध्यान देंः2.जमा/निवेश के मामले में क्रम संख्या, राशि, जमा की तारीख, योजना, बैंक/संस्थान और शाखा का नाम सहित विवरण दिया जाना है।

एच.

539

सतीश यूके बनाम देवेंद्र गंगाधराव फदनाविस [रंजन गोगोई, सीजेआई।] ए.

क.

ध्यान देंः3.सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज में वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में बही के अनुसार बांड/शेयर डिबेंचर का मूल्य दिया जाना चाहिए।ध्यान देंः4.यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75-ए के तहत स्पष्टीकरण (वी) में दिया गया है।

ध्यान देंः5:प्रत्येक निवेश के संबंध में राशि सहित विवरण अलग से दिया जाना है।

एस. एल. नहीं।	वर्णन	स्वयं		जीवनसाथी आश्रित-1	आश्रित-2	आ
((i)	हाथ में नकदी					
(II (iii)	) बैंक खातों में जमा राशि (एफ. डी. आर., सावधि जमा राशि और बचत खातों सहित अन्य सभी प्रकार की जमा राशि), वित्तीय संस्थानों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सहकारी समितियों में जमा राशि और					

	ऐसी प्रत्येक जमा राशि) बांड, डिबेंचर/शेयर और कंपनियों/म्यूचुअल फंडों और अन्य में इकाइयों में निवेश का विवरण और राशि					
(iv.	) एन. एस. एस., डाक बचत, बीमा पॉलिसियों और डाकघर या बीमा कंपनी में किसी भी वित्तीय साधन में निवेश का विवरण और राशि					
(वी.	) फर्म, कंपनी, न्यास आदि सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था को दिए गए व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और देनदारों से अन्य प्राप्य और राशि					
(vi (vii)	) मोटर वाहन/विमान/नौका /जहाज (निर्माण का विवरण, पंजीकरण संख्या आदि खरीद के वर्ष और राशि)) आभूषण, सोना-चांदी और मूल्यवान वस्तु (वस्तु) (वजन और मूल्य का विवरण दें)					
(viii (ix	) कोई अन्य परिसंपत्तियाँ जैसे कि दावों का मूल्य/ब्याज) सकल कुल मूल्य					

ग

डी.

ई.

च

जी.

ख. अचल परिसंपत्तियों का विवरणः

ध्यान दें:1. संयुक्त स्वामित्व में संपत्तियों को भी इंगित करना होगा जो संयुक्त स्वामित्व की सीमा को दर्शाता है।

एच.

ध्यान दें:2. प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का उल्लेख इस प्रारूप में अलग से किया जाना चाहिए।

वर्णन				स्व-जीवनसाथी आश्रित-1 आश्रित-2 आश्रित-3	
अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
वाणिज्यिक भवन ((iii) अपार्टमेंट सहित)-स्थान-सर्वेक्षण संख्या (क्षेत्र) (कुल माप sq.ft में) निर्मित क्षेत्र (कुल माप sq.ft में) चाहे विरासत में मिली संपत्ति (हाँ या नहीं) स्व-अर्जित संपत्ति के मामले में खरीद की तारीख खरीद के समय संपत्ति की लागत (खरीद के मामले में) विकास, निर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई भी निवेश। अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					

एस. एल.

नहीं।

कृषि भूमि स्थान सर्वेक्षण संख्या

((i)

क्षेत्रफल (एकड़ में कुल माप) चाहे विरासत में मिली संपत्ति (हाँ या नहीं)

स्व-अर्जित संपत्ति के मामले में खरीद की तिथि

खरीद के समय भूमि की लागत (खरीद के मामले में)

ग

विकास, निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई भी निवेश।

गैर-कृषि भूमि का अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्यः

((ख)

स्थान (ओं)

सर्वेक्षण संख्या (ओं)

डी.

क्षेत्रफल (वर्ग फुट में कुल माप) चाहे विरासत में मिली संपत्ति (हाँ या नहीं)

स्व-अर्जित संपत्ति के मामले में खरीद की तिथि

खरीद के समय भूमि की लागत (खरीद के मामले में)

ई.

विकास, निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई भी निवेश।

च

जी.

एच.

541

सतीश यूके बनाम देवेंद्र गंगाधराव फदनाविस [रंजन गोगोई, सीजेआई।] ए.

आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित): —स्थान-सर्वेक्षण संख्या					
क्षेत्रफल (कुल माप sq.ft में)					
निर्मित क्षेत्र (कुल माप sq.ft में) चाहे विरासत में मिली संपत्ति (हाँ या नहीं) स्व-अर्जित संपत्ति के मामले में खरीद की तिथि					
खरीद के समय संपत्ति की लागत (खरीद के मामले में)					
विकास, निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई भी निवेश। उपयुक्त वर्तमान बाजार मूल्य) अन्य (जैसे संपत्ति में ब्याज)) वर्तमान बाजार मूल्य का कुल (i) से (v) ऊपर					

क.

((iv)

ग

(वी.

(vi.

(8) मैं यहाँ सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और सरकार की देनदारियों/देय राशि का विवरण नीचे देता हूँ -

डी.

(नोट करें।—कृपया प्रत्येक वस्तु से पहले बैंक, संस्थानों, संस्था या व्यक्ति के नाम और राशि का अलग-अलग विवरण दें)

एस. एल. नहीं।	वर्णन	स्वयं	जीवनसाथी।	आश्रित-1	आश्रित-2	आ
एस. एल. नहीं।	वर्णन	स्वयं	जीवनसाथी।	आश्रित-1	आश्रित-2	आ
((i)						
बैंक/वित्तीय संस्थान (ओं) को ऋण या बकाया बैंक या वित्तीय संस्थान का नाम, ऋण की प्रकृति						
नाम (ओं), बकाया राशि, ऋण की प्रकृति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को ऋण या बकाया						
कोई अन्य दायित्व						
देनदारियों का कुल योग						
((ख)	सरकारी भुगतान से संबंधित विभागों पर सरकार का बकाया					
	पानी की आपूर्ति से संबंधित विभाग का बकाया					
	बिजली की आपूर्ति से संबंधित विभाग का बकाया					
	टेलीफोन/ओ. बी. आई. एल. की आपूर्ति से संबंधित विभाग को देय राशि					
	सरकारी परिवहन					

	(विमानों और हेलीकॉप्टरों सहित) से संबंधित विभाग को देय राशि					

ई.

च

जी.

एच.

	आयकर बकाया					
	धन कर बकाया					
	सेवा कर बकाया					
	नगरपालिका/ संपत्ति कर बकाया					
	बिक्री कर बकाया					
	कोई अन्य देय राशि					
	((iii) सभी सरकारी बकाया राशि का कुल योग					
	((iv) क्या कोई अन्य देनदारियाँ विवाद में हैं, यदि हैं, तो इसमें शामिल राशि और उस प्राधिकरण का उल्लेख करें जिसके समक्ष यह लंबित है।					

(9) पेशे या व्यवसाय का विवरणः

(क) स्वयं. (ख) जीवनसाथी. (10) मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है -

ग

.....

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप, स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष का उल्लेख करते हुए उच्चतम स्कूल/विश्वविद्यालय शिक्षा का विवरण दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)

डी.

भाग बी

(11) भाग क के (1) से (10) में दिए गए विवरण का सारः

ई.

6	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8	

की उप-धारा (1), (2) या (3) में निर्दिष्ट अपराधों को छो

ऊ क र ऐ स ं म ा म ल ो ं क ी ल ु स ं ख ् य ा ज ि स म ं द ो ष ी ठ ह र ा य ा ग य ा ह ो

	और एक वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई हो।			
7		क	ज	दिख

	(ए) उम्मीदवार			

	(ख) पति या पत्नी				
	((घ) आश्रित]				

1. उम्मीदवार का नाम

Sh./Smt./Kum।

2. पूरा डाक पता

3. निर्वाचन क्षेत्र और राज्य की संख्या और नाम

4. उम्मीदवार की स्थापना करने वाले राजनीतिक दल का नाम (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)

5. (I) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां अदालत द्वारा दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय किए गए हैं।

च

((ii) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालयों ने संज्ञान लिया है (मद (i) में उल्लिखित मामलों के अलावा)

जी.

एच.

543

सतीश यूके बनाम देवेंद्र गंगाधराव फदनाविस [रंजन गोगोई, सीजेआई।] ए.

8. [परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण रुपये में] विवरण स्व-जीवनसाथी आश्रित-I आश्रित-III ए. चल संपत्ति (कुल मूल्य) बी अचल संपत्ति I. स्व-अर्जित अचल संपत्ति का खरीद मूल्य II। खरीद के बाद अचल संपत्ति का विकास/निर्माण लागत (यदि लागू हो) III। अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य-(ए) स्व-अर्जित परिसंपत्तियाँ (कुल मूल्य) (बी) विरासत में मिली परिसंपत्तियाँ (कुल मूल्य)
द
( )
(ii 11.
)
उच्चतम शैक्षणिक योग्यताः (प्रमाणपत्र/डिप्लोम ा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप, स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष का उल्लेख करते हुए उच्चतम स्कूल/विश्वविद्यालय शिक्षा का

विवरण दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)

ग

डी.

वेरिफिकेशन

ई.

मैं, नामित, एतद्द्वारा सत्यापित और घोषित करता हूं कि इस शपथ पत्र की सामग्री मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सही है और इसका कोई भी हिस्सा गलत नहीं है और इससे कुछ भी सामग्री नहीं छिपी है।मैं आगे घोषणा करता हूं कि-(ए) मेरे खिलाफ उपरोक्त भाग ए और बी की मदें 5 और 6 में उल्लिखित मामलों के अलावा कोई दोषसिद्धि या लंबित मामला नहीं है;

च

(ख) ऊपर भाग क की मद 7 और 8 और भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित मदों के अलावा, मेरे, मेरे जीवनसाथी या मेरे आश्रितों के पास कोई संपत्ति या दायित्व नहीं है।

जी.

का सत्यापित at.this the.day।

विभागीय टिप्पणीः1. नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन दोपहर 3 बजे तक शपथ पत्र दाखिल किया जाना चाहिए।

एच.

ध्यान दें:2. शपथ-पत्र को प्रथम श्रेणी के शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट के समक्ष या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ लेनी चाहिए। ध्यान दें:3. सभी कॉलम भरे जाने चाहिए और कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए।यदि किसी वस्तु के संबंध में प्रस्तुत करने के लिए कोई जानकारी नहीं है, तो "शून्य" या "लागू नहीं", जैसा भी मामला हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।

ध्यान दें:4. शपथ पत्र या तो टाइप किया जाना चाहिए या सुपाठ्य और साफ-सुथरे तरीके से लिखा जाना चाहिए।"

15. यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि फॉर्म-26 को एस. ओ. 1732 (ई) दिनांकित 1.8.2012 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जो 1.8.2012 से प्रभावी था।

ग

16. प्रपत्र-26 के केवल अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए, जबकि प्रविष्टि (5) (i) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा उस मामले (ओं) के बारे में जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य करता है जो उसके खिलाफ लंबित है जिसमें न्यायालय द्वारा आरोप बनाए गए हैं; प्रविष्टि (5) (ii) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा उन मामलों के बारे में जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य करता है जो उसके खिलाफ लंबित हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।

डी.

प्रविष्टि 5 (ii) में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि उम्मीदवार को लंबित मामले (मामलों) की जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है जिसमें संज्ञान लिया गया है।यह प्रविष्टि 5 (i) में कॉलम के सामने प्रदान की जाने वाली जानकारी के अलावा है क्योंकि 'उपरोक्त मद (i) में उल्लिखित मामलों के अलावा' शब्दों का उपयोग प्रविष्टि 5 (ii) में विशेष रूप से किया गया है।17. उपरोक्त कोई संदेह नहीं छोड़ सकते हैं कि, 2012 में प्रपत्र 26 के प्रतिस्थापन के बाद, नया प्रपत्र 26 (जैसा कि 2014 में चुनाव के समय प्रचलन में था), चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा न केवल उन मामलों (मामलों) की जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य करता है जिनमें आरोप बनाए गए हैं, बल्कि उन मामलों (मामलों) की भी जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य करता है जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।

ई.

च

18. भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे गए पत्रों से स्थिति और स्पष्ट हो जाती है।उक्त पत्रों को पढ़ने से पता चलता है कि एक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उन मामलों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य किया जाता है जिनमें एक सक्षम न्यायालय ने उन मामलों के साथ संज्ञान लिया है जिनमें आरोप बनाए गए हैं।उक्त पत्रों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि धारा 33-ए में उल्लिखित हलफनामा

जी.

एच.

545

सतीश यूके बनाम देवेंद्र गंगाधराव फदनाविस [रंजन गोगोई, सीजेआई।] ए.

1951 के अधिनियम के ए (2) को प्रपत्र-26 में निर्धारित किया गया है और उक्त शपथ पत्र में जानकारी की कोई भी झूठी घोषणा या छिपाना 1951 के अधिनियम की धारा 125-ए के प्रावधानों को आकर्षित करेगा। इस संबंध में पत्र दिनांकित 24.8.2012,26.9.2012 और 26.4.2014 हैं, जिनके प्रासंगिक भाग नीचे निकाले गए हैं:

(i) पत्र **dt.24-08-2012:**

“1. उपः- उम्मीदवारों द्वारा अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल किया जाने वाला शपथ पत्र-प्रारूप-संशोधन के संबंध में।

संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों में अब तक उम्मीदवारों को दो शपथ पत्र दाखिल करने होते थेःएक, चुनाव संचालन नियम, 1961 में संलग्न प्रपत्र-26 में और दूसरा, आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, अपने आदेश संख्या 3/ई. आर./2003 डी. टी. के माध्यम से।27-03-2003, जैसा कि बाद में सम संख्या dt के अक्षर द्वारा संशोधित किया गया था।25-02-2011.हलफनामों में, उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि कोई हो, संपत्ति, देनदारियों और शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी घोषित करने की आवश्यकता होती है।2.आयोग द्वारा दो हलफनामों को एक प्रारूप में एकीकृत करने के प्रस्ताव

पर, सरकार ने फॉर्म 26 में संशोधन किया है ताकि दो अलग-अलग हलफनामों में मांगी गई सभी जानकारी को इसमें शामिल किया जा सके।विधि और न्याय मंत्रालय ने 01-08-2012 को भारत के राजपत्र में संशोधित प्रारूप 26 को अधिसूचित किया है।1 अगस्त, 2012 की उक्त अधिसूचना की एक प्रति इसके साथ संलग्न है।

ग

डी.

ई.

3.फॉर्म-26 में संशोधन को ध्यान में रखते हुए, सभी उम्मीदवार, इसके बाद, (संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों में) पर अधिसूचित संशोधित फॉर्म 26 में केवल एक हलफनामा दाखिल करेंगे।शपथ पत्र दाखिल करते समय पालन की जाने वाली आवश्यकताओं का उल्लेख प्रारूप के अंत में दिए गए नोटों में किया गया है।

च

.....

जी.

5.आपसे अनुरोध है कि आप मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों की राज्य इकाइयों सहित अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यालय रखने वाले प्रत्येक राजनीतिक दल (पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों सहित) को संलग्न अधिसूचना की प्रति के साथ इस पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करें।"[जोर हमारा है]।"

एच.

((ख**)**।पत्र डीटी।**26-09-2012:**

"उपः उम्मीदवारों द्वारा अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल किया जाने वाला शपथ पत्रः

...

2. संशोधित प्रपत्र 26 के भाग ए की मद 5 और भाग बी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी से संबंधित है।यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रपत्र-26 के उक्त भाग ए और भाग बी के मद (5) (ii) में, उन सभी लंबित मामलों का विवरण, जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, चाहे सजा की मात्रा या आरोप तय किए गए हों, उम्मीदवार को प्रकट करना होगा।यह सभी उम्मीदवारों के ध्यान में लाया जा सकता है जब वे राज्य में भविष्य के सभी आम/उपचुनावों में अपना नामांकन दाखिल करते हैं।

ग

((iii) पत्र डी**.** टी**.26-04-2014:**

"उपः फॉर्म-26 में गलत हलफनामा दाखिल करना।रेग.सर/मैडम,

डी.

आप जानते हैं कि चुनाव संचालन नियम, 1961 से जुड़े फॉर्म-26 में हलफनामे के प्रारूप को 01-08-2012 से संशोधित किया गया था।अब उम्मीदवारों को फॉर्म 26 में हलफनामे में जीवनसाथी और आश्रितों, उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक योग्यता सहित संपत्ति और देनदारियों के बारे में घोषणा करने की आवश्यकता है।फॉर्म 26 में हलफनामे में जानकारी को छिपाने पर धारा 125 ए के प्रावधान लागू होंगे। धारा 125 ए के तहत, फॉर्म 26 में हलफनामे में किसी भी गलत

जानकारी को प्रस्तुत करना या जानकारी को छिपाना एक चुनावी अपराध है जो छह महीने तक की कैद या जुर्माने या दोनों से दंडनीय है।

ई.

च

2. अगस्त 2012 में प्रपत्र 26 में संशोधन से पहले, परिसंपत्तियों, देनदारियों, आपराधिक पृष्ठभूमि और शैक्षिक योग्यता के बारे में घोषणा के संबंध में हलफनामा आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में दिया गया था।उक्त शपथ-पत्र में गलत बयान के बारे में शिकायतों के मामले में आयोग ने अपने परिपत्र संख्या 3/ई. आर./2004, दिनांक आई. डी. 1 के माध्यम से स्पष्ट किया था कि यदि शपथ-पत्र में गलत घोषणा का मुद्दा उठाते हुए निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शिकायतें दर्ज की गई थीं और यदि आर. ओ. शिकायत के गुण-दोष के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट था, तो आर. ओ. ए.

जी.

एच.

547

सतीश यूके बनाम देवेंद्र गंगाधराव फदनाविस [रंजन गोगोई, सीजेआई।] ए.

आई. पी. सी. की धारा 177 के साथ Cr.P.C की धारा 195 के तहत सक्षम अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज करनी थी।

3. अब जब हलफनामा आर. पी. अधिनियम, 1951 की धारा 33 ए के तहत फॉर्म 26 में है, तो हलफनामे में गलत घोषणा/जानकारी छिपाना अधिनियम की धारा 125 ए के तहत आता है। धारा 125 ए के तहत, कोई शर्त नहीं है कि धारा के तहत शिकायतें संबंधित लोक सेवक (इस मामले में आरओ) द्वारा की जानी चाहिए।इसलिए, किसी भी पीड़ित व्यक्ति के लिए फॉर्म 26 में हलफनामे में किसी भी गलत घोषणा या जानकारी को छिपाने के मामले में धारा 125 ए के तहत कार्रवाई के लिए याचिका के साथ सक्षम क्षेत्राधिकार के उपयुक्त न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार होगा।

ग

[रेखांकित करना हमारा है] "19. 1951 के अधिनियम की धारा 33-ए और 1961 के नियमों के नियम 4-ए और प्रपत्र-26 के साथ-साथ दिनांकित 24.8.2012,26.9.2012 और 26.4.2014 के पत्रों का संचयी अध्ययन, हमारे विचार में, यह स्पष्ट करता है कि 1951 के अधिनियम की धारा 33-ए के तहत प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी में न केवल धारा 33-ए (1) के खंड (i) और (ii) में उल्लिखित जानकारी शामिल है, बल्कि यह भी जानकारी है कि उम्मीदवार को अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और ऐसी जानकारी प्रपत्र 26 में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसमें उन मामलों से संबंधित जानकारी शामिल है जिनमें एक सक्षम अदालत ने संज्ञान लिया है (प्रपत्र-26 की प्रविष्टि 5 (ii))।यह उन मामलों के अलावा है जिनमें दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किए गए हैं या ऐसे मामले जिनमें दोषसिद्धि दर्ज की गई है और एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा दी गई है (फॉर्म 26 की प्रविष्टियां 5 (i) और 6)।20. इस दृष्टिकोण के आलोक में कि हमने शिकायत में इस प्रभाव से किए गए स्पष्ट दावे को ध्यान में रखते हुए कि प्रथम प्रतिवादी को अपने खिलाफ दो मामलों की जानकारी थी, जिनका उल्लेख प्रथम प्रतिवादी द्वारा अपने नामांकन पत्रों के साथ दायर हलफनामे में नहीं किया गया था, हम बिना किसी हिचकिचाहट के इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा 3 मई, 2018 के विवादित फैसले और आदेश द्वारा बरकरार रखे गए विद्वत विचारण न्यायालय का आदेश कानूनी रूप से मान्य नहीं है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए जो हम एतद्द्वारा करते हैं।अपीलार्थी की शिकायत पर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा उस स्तर से नए सिरे से विचार किया जाएगा जहां इसे दिनांकित 30.5.2016 आदेश द्वारा बाधित किया गया था।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

548

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 15 एस सी आर।

21. उपरोक्त रूप में हमारा दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा रिपोर्ट के पैराग्राफ 75 में व्यक्त किए गए समान दृष्टिकोण के अनुरूप है।

कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार और अन्य **4.**रिपोर्ट का पैरा **75**

कृष्णमूर्ति (ऊपर) में निम्नानुसार लिखा है:"75. उपरोक्त प्रारूप के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि अपराधों की कुछ श्रेणियों का विवरण दिया जाना चाहिए जिनके संबंध में संज्ञान लिया गया है या आरोप बनाए गए हैं।यह नियम 1951 के अधिनियम की धारा 33-ए के अनुरूप है। धारा 33 (1) में परिकल्पना की गई है कि जानकारी नियमों के अनुसार दी जानी चाहिए।यह धारा 33 (1) (i) और (ii) के अनुसार प्रदान की जाने वाली जानकारी के अतिरिक्त है।उम्मीदवार द्वारा दायर किए जाने वाले शपथ पत्र में उम्मीदवार के खिलाफ लंबित मामलों का उल्लेख किया गया है जिसमें अदालत द्वारा दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए आरोप बनाए गए हैं और उन मामलों का भी उल्लेख किया गया है जिनमें उसके खिलाफ न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, उन मामलों के अलावा जो फॉर्म 26 के खंड (5) (i) में उल्लिखित हैं।उपरोक्त के अलावा, प्रपत्र 26 का खंड (6) दोषसिद्धि से संबंधित है।22. नतीजतन और उपरोक्त के आलोक में, अपीलों की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के 3 मई, 2018 के आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।हस्तक्षेप/अभियोग के लिए आवेदन सहित सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है।

ग

डी.

ई.

कल्पना के. त्रिपाठी

अपीलों की अनुमति दी गई।

च

जी.

4 (2015) 3 एस. सी. सी. 467

एच.